हम विश्वास करते हैं

एक दूसरे में

मुद्रक :- जिला सहकारी संघ मर्या., सहकारी मुद्रणालय, चौबे कालोनी, रायपुर (छ.ग.)

कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था मर्यादित

आदर्श उपविधि

बचत-सहकार-समृद्धि

रायपुर जिला सहकारी संघ मर्यादित

प्रकाशक : जिला सहकारी संघ मर्यादित
चौबे कालोनी, रायपुर (छ. ग.)

फोन नं. 0771-2255998

मूल्य - 50/- रुपये

(वर्ष - 2013)

कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था की उपविधियां

१. नाम पता तथा कार्यक्षेत्र –

इस संस्था का नाम...

कामगार तथा कारीगरों की सहकारी संस्था समिति, होगा और इसकी रजिस्ट्री किया हुआ पता स्थान ....डाकघर...............तहसील.................जिला...................... छत्तीसगढ़ होगा।

२. उद्देश्य–

इस संस्था का उद्देश्य उपने सदस्यों को काम तथा उसकी योग्य परिश्रमिक देकर उनकी वार्षिक उन्नति करना होगा। और इसकी पूर्ति के लिए यह नीचे लिखें अनुसार काम करेगी।

(१) सहकारी अथवा खाननी काम करने के ठेके टेंडर अथवा अन्य प्रकार से लेना।
(२) उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए औजार, मशीन व अन्य आवश्यक सामान खरीदना या किराये पर लेना।
(३) अन्य छोटे–छोटे काम भी हाथ लेना।
(४) वे काम योग्य प्रकार से नियमित समय में पूरे करने की व्यवस्था करना और इसके लिए सदस्यों को अधिक कार्य–कुशल बनानेका प्रयत्न करना।
(५) ऐसी व्यवस्था करना कि सदस्य बेकार न रहें।
(६) सदस्यों के लिए भावी रक्षा एवं बेकारी निवारण निधि निर्माण करना।
(७) सदस्यों के लिए आवश्यक कामों के लिए ऋण देने की व्यवस्था करना।
(८) संस्था के काम के लिए पूंजी एकत्रित करना।
(९) सदस्यों में स्वावलंबन तथा सहयोग से काम करने की प्रवृत्ति निर्माण करना और
(१०) खदान आदि ठेके पर, लीज पर व किराये पर लेना।
(११) ऐसे अन्य काम करना जो उपरोक्त कामो से संबंधित हो और संस्था के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाना आवश्यक हो।

3. पूंजी

(१) प्रवेश शुल्क के द्वारा
(२) अंश विक्रय कर
(३) अमानतें जमा करके
(४) ऋण लेकर
(५) अनुदान आदि लेकर और
(६) लाभ में से रक्षित निधि बनाकर ऋण तथा अमानत की रकम ऐसे प्रतिबंधो के अधीन ली जावेगी जैसा कि पंजीयक ऐसी संस्था का संस्थाओं के वर्गके संबंध में विहित करें। पूंजी उन कामो में लगाई जावेगी जो कि उपविधि क्रमांक 2 में संस्था के उद्देश्यों के अन्तर्गत दिये गये है। शेष पूंजी जब तक कि उसको इन कामों के लिए आवश्यकता न हो छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान १९६० की धारा के अनुसार लगाई जावेगी।

4. सदस्यता

इस संस्था के सदस्य निम्नलिखित व्यक्ति हो सकेगें।

(१) वे व्यक्ति जो संस्था के कार्यक्षेत्र में रहते हो और ऐसे कामगार अथवा कारीगर हो जो संस्था के उद्देशित काम कर सकते हों।
(२) जिनका आचरण अच्छा हो और जिन्होने इस उपविधियों को समझ लिया हो।
(३) जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
(4) जो इसी प्रकार की दूसरी सहकारी संस्था के सदस्य न हो।
(5) आरंभ में वे सदस्य होंगे जिन्होने संस्था की रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किये हो इसके बाद नये सदस्य समिति की बैंठक में स्वीकृति से सम्मिलित किये जावेंगे। इन सदस्यों को सदस्यता का अधिकार तब प्राप्त होंगे जबकि उपविधि–७ केअनुसार करार पत्र पर उनके हस्ताक्षर हो जावें और उपविधि–१५ के अनुसार अंश की पूरी रकम जमा हो जाए।

६– सदस्य बनाये जाने के प्रार्थना–पत्र के साथ प्रत्येक व्यक्ति को पांच रूपया प्रवेश शुल्क जमा करना होगा यदि प्रार्थना पत्र स्वीकृत हुआ तो प्रवेश शुल्क वापस कर दी जावेगी। संस्था की रजिस्ट्री के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले सदस्यों को यदि उन्होनेरकम पहले न दी हो तो संस्था की रजिस्ट्री होने का बाद जो पहिले व्यापक सम्मेलन की बैठक हो उस दिन अथवा उसकेपहिले प्रवेश शुल्क जमा कर देना चाहियें।

७– (१) प्रत्येक सदस्य को इस प्रकार के करार पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वह प्रबंधकारिणी समिति के अनुशासन में वे सब काम जो उसको सौपे जावें, सुचारू रूप करना ऐसा न करने की स्थिति में समिति का किया हुआ दण्ड जो एक सौ रूपये सेअधिक नहीं होगा जमा करेगा।

(२) उसको यह भी लिख देना होगा कि संस्था की उपविधियों का इन उपविधियों के अन्तर्गत व्यापक सम्मेलन द्वारा कई पोट उपविधियों का और इन दोनो में जो संशोधन उसकी सदस्यता अवधि में हो उनका पूर्ण रूप से पालन करेगा।

८– यदि कभी संस्था के पास किसी सदस्य को देने के लिए कोई काम न हो तो उस अवधि

के लिए जो समिति स्वीकृत करें यह सदस्य पृथक रीति से दूसरा काम कर सकता है।

९- प्रत्येक सदस्यों को रजिस्टर में हस्ताक्षर करना होगा और उसकी अपनी उत्तराधिकारी जो संस्था का पदाधिकारी अथवा नौकर हो तो समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी मनोनीत करने का अधिकार होगा जिसकी सदस्य के मरने पर यदि कोई रकम संस्था में जमा हो तो वह दी जाय अथवा उसके नाम पर परिवर्तित की जा सकें।

१०- सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जायेगी -

(१) मर जाने पर

(२) संस्था के एक भी अंश का स्वामी न रहने पर।

(3) कम से कम एक वर्ष सदस्य रहने के बाद प्रबंधक के पास तीन महीने पहिले त्याग पत्र देने पर और वह समिति द्वारा स्वीकृति होने पर परन्तु ऐसा त्यागपत्र तब तक स्वीकार नहीं किया जावेगा जब तक कि सदस्य पर संस्था का ऋण अन्य लेना शेष हो अथवा व काम जो उसके त्यागपत्र देने के समय संस्था के हाथ में पूरा न हो जाए।

(४) प्रबंधकारिणी समिति में ३/४ बहुमत से निकाल दिये जाने पर।

११. कोई भी जो सदस्य प्रबंधकारिणी समिति में ३/४ बहुमत से स्वीकृत किये गये ठहराव के द्वारा नीचे लिखे किसी जो एक कारण से संस्था से निकाला जा सकता है -

(१) यदि वह उस स्तर का जो समिति ने निर्धारित किया हो काम न करता हो अथवा काम न कर सकता हो अथवा अपनी जिम्मेदारी को समय पर पूरा न करने का उसकी आदत पड़ गई हो अथवा समिति का अनुशासन भंग करता हो।

(२) यदि जानबूझकर झूठा बयान देकर संस्था को धोखा देता हो।

(३) यदि वह दिवालिया हो गया हो अथवा दिवालियां घोषित किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर चूका हो या विधान को दृष्टि से अनुबंध करने के अयोग्य हो गया हो।

(४) यदि वह किसी फौजदारी अपराध में जिससे उसका नैतिक पतन सिद्ध हो दंडित हुआ हो।

(५) यदि वह जानबूझकर कोई ऐसा काम करे जिससे कि संस्था की साख को हानि पहुंची हो या पहुंचने की संभावना हो।

(६) ऐसे सदस्य को निकाले जाने का प्रस्ताव की लेखो सूचना, प्रबंधकारिणी समिति उसको 15 दिन पहले देगी।

कोई निकाला हुआ सदस्य फिर सदस्य नहीं हो सकेगा सिवाय उस स्थिति के जब तक निकालने की तारीख से एक से एक वर्षन हो गया हो व प्रबंधकारिणी समिति उसे सम्मिलित करने का प्रस्ताव जिसकी सूचना पहले दी गई हो, उपस्थित सदस्यों केबहुमत से स्वीकृत न हो।

(१२) (१) संस्था जो ऋण तथा अमानतें इत्यादि लें उसके लिए सदस्यों का दायित्व उनके अंशो के दर्शानी मूल्य से पांच गुने तक समिति में रहेगा।

(२) पिछले सदस्यों का दायित्व संस्था के उस ऋण तथा अमानतों आदि के भार के लिए जो संस्था पर उसके अलग होने के समय ही उनके अलग होने के दो वर्ष तक रहेगा।

(३) मरे हुए सदस्य की संपत्ति उस ऋण तथा अमानतों आदि के भार के लिए जो उसके मरने की तारीख की संस्था पर हो, सदस्य के मरने की तारीख से दो वर्ष तक उत्तरदायी होगी।

13. अंश

अंशो की पूंजी 1,00,000/- (एक लाख) रूपये की होगी जिसमें ५०-५० रूपये के २००० अंश होंगे इसमें कमी अथवा वृद्धि व्यापक सम्मेलन के ठहराव से तथा सहकारी संस्थाओं के रजिस्ट्रार साहब की स्वीकृति से की जा सकेगी इन उपविधियोंमें कुछ भी क्यों न लिखा हो शासन उस प्रतिबंधों के अनुसार जो वह लगाना योग्य समझे इस संस्था के मोल ले सकेगी।

१४. प्रत्येक सदस्य को कम से कम एक अंश लेना होगा कोई सदस्य उस समय तक वसूल आयी हुई अंशो की रकम १/५ से अधिक मूल्य के ऋण न ले सकेगा। अंश लेने के प्रार्थना पत्रों का नियम प्रबंधकारिणी समिति करेगी एक ऋण प्रमाण पत्र प्रत्येक लिए हुए अंश अथवा अंशो के लिए दिया जाएगा जिस पर संस्था मुद्रा लगाई जावेगी और अध्यक्ष तथा प्रबंधक के हस्ताक्षर होंगे।

१५. अंशो के पूरी रकम एक साथ अथवा अधिक से अधिक दस मासिक किस्तों में जैसे कि समिति निश्चित करें जमा करना होगा प्रत्येक सदस्य को अंशो के खातो में कम से कम 5 रूपया प्रतिमास तब तक जमा करना होगा जब तक कि उसके अंशो की रकम उस परिश्रमिक में से जो संख्या सदस्य को दे काटी जा सकेगी।

१६. कोई सदस्य अंश को कम से कम एक वर्ष रखने के बाद समिति की स्वीकृति से किसी दूसरे सदस्य को अथवा ऐसे व्यक्ति को जिसको सदस्य बनाना समिति ने स्वीकृत किया हो हस्तातर कर सकता है। हस्तांतर करने के लिए प्रति अंश पच्चीस पैसे शुल्क जमा करना होगा।

१७. उस सदय को जिसका संबंध संस्था के साथ उपविधि 10 की पोट कालम नं. 3 अथवा 4 के अनुसार छुट गया हो उसके अंश के

उस समय के मूल्य के सामान उतनी रकम जो सहकारी संस्था नियमों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति निश्चित करें और जो

उसमें जमा की हुई रकम से अधिक न हो उसके अलग होने पर वापिस कर दी जायेगी परन्तु किसी वर्ष में इस प्रकार के अंशो की

उस कुल रकम से जो गत ३१ मार्च को जमा हो १/१० से अधिक रकम वापिस नही क ी जा सकेगी और उसमें से वह रकम जो

इस संस्था को सदस्य से लेना हो काट ली जावेगी।

१८. किसी सदस्य के मरने पर समिति उसके अंश के उस समय मूल्य समान उतनी रकम जो सहकारी संस्था नियंमों के अनुसार

प्रबंधकारिणी समिति निश्चित करें जो उसकी जमा की हुई रकम से अधिक न हो, में से उस रकम को घटाकर उस पर संस्था

का बाकी रकम दो वर्ष बाद उस व्यक्ति को वापिस देगी जो उपविधि–९ के अनुसार मृत सदस्य ने मनोनित किया हो तो वह रकम

इण्डिमिनिट बाण्ड लिखकर ऐसे व्यक्ति को दी जावेगी जो समिति की पुष्टि मरे हुए सदस्य के उत्तराधिकारी अथवा स्थाना पत्र

के नाते उस रकम को पाने का अधिकार हो।

१९. व्यापक सम्मेलन :–

संस्था के कारोबार के संचालन के संबंध में व्यापक सम्मेलन की पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

२०. वार्षिक व्यापक सम्मेलन की बैठक प्रतिवर्ष की जावेगी। इसके अतिरिक्त जब आवश्यकता हो प्रबंधकारिणी सतिति के ठहराव

पर अथवा कम से कम पांच सदस्यों को या सदस्यों की कुल संख्या के दश माश सदस्यों के जो भी कम हो के लेखी प्रार्थना पत्र

पर जिसमें सम्मेलन बुलाने का उद्देश्य बताया गया हो अथवा सहकारी संस्थाओं के पंजीयक के आदेश पर विशेष व्यापक

सम्मेलन की बैठक एक मास के भीतर अवश्य बुलाई जावेगी। रजिस्ट्री के पश्चात सदस्यों की जो प्रथम व्यापक सम्मेलन हो

उसको वे अधिकारी होंगे जो इन उपलब्धियों में वार्षिक व्यापक सम्मेलन का प्राप्त है।

(२) सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण होने के तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर या ऐसी और कालावधि के भीतर जैसे कि

रजिस्ट्रार द्वारा अनुज्ञात की जाय उस सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पत्र पर प्रथम हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति सोसयटी की

समिति के सदस्यों और प्रतिनिधियों, यदि कोई हो का चुनाव करने के लिए उसका प्रथम वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाएगा

और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसा सम्मेलन ऐसे व्यक्ति द्वारा बुलाया जाएगा जिसे रजिस्ट्रार द्वारा इस

निभितत प्राधिकृत किया जाय।

(३) साधारण सम्मेलन की सूचना उसमें सम्मेलन का स्थान तारीख और समय का उल्लेख करते हुए उस सम्मेलन में किये जाने

वाले कामकाज के विवरण के साथ उसे सम्मेलन के दिनांक से १४ दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या

व्यक्तिशः प्रदत करके, यदि सोसायटी की सदस्य संख्या २५० से कम हो तो, या डाक प्रमाण के अधीन साधारण डाक से यदि

सोसयटी की संख्या २५० से अधिक हो और ऐसे मामले में सूचना सोसयटी के क्षेत्र में प्रकाशित स्थान दैनिक हिन्दी सामाचार

पत्र में भी प्रकाशित करायी जाएगी।

सोसयटी की संख्या २५० से अधिक हो और ऐसे मामले में सूचना सोसयटी के क्षेत्र में प्रकाशित स्थाननीय दैनिक हिन्दी

सामाचार पत्र में भी प्रकाशित करायी जाएगी।

(४) जिले में सोसाइटियों के किसी वर्ग का साधारण सम्मेलन उसी दिन होना हो तो ऐसी सूचना रजिस्ट्रार के प्राधिकारी से प्रत्येक

सदस्य को डाक प्रमाण–पत्र के अधीन भेजी जा सकेगी या व्यक्तिश प्रदत्त की जा सकेगी और उसके साथ–साथ उसका

प्रकाशन स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में भी किया जावेगा।

(५) व्यापक सम्मेलन की बैठक के लिए गणपूर्ति संस्था उन मामलों में सदस्यों को संख्या के जो व्यापक सम्मेलन की सूचना देने की

तारीख को हो १/३ अथवा २५ इसमें से जो भी कम हो होगी। बैठक के लिए नियत किये हुए समय पर गणपूर्ति न रहे तो यदि वह बैठक सदस्यों के प्रार्थना पत्र पर की गई हो तो निरस्त कर दी जावेगी और अन्य स्थिति में वह दूसरी ऐसी तारीख और समय के लिए स्थगित की जावेगी जो उपस्थित सदस्य नियत करे अथवा जिसकी सूचना पहिले दी जा चुकी हो स्थगित की हुई बैठक में भी गणपूर्ति आवश्यक होगी।

२१. वार्षिक व्यापक सम्मेलन में अन्य मामलों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रस्तुत हो निम्नलिखित काम होंगे :–

(१) वार्षिक व्यापक सम्मेलन में अन्य मामलों के अतिरिक्त जो इन उपविधियों के अनुसार प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।

(२) वार्षिक पत्रक और उसके संबंधी समिति का चुनाव करना।

(३) लाभ का विवरण स्वीकृत करना परन्तु उपविधि ४७ (३) या (४) के अन्तगर्त जो सिफारिश समिति ने की हो उसमें व्यापक सम्मेलन वृद्धि नहीं कर सकेगा।

(४) संस्था के खर्च का बजट स्वीकृत करना।

(५) यह निश्चित करना कि अमानतें,कितनी, किस अवधि के लिए और किस ब्याज की दर से ली जावे।

(६) सहकारी संस्थाओं के पंजीयक, आडिट तथा इन्सपेक्शन नोटों दर समिति ने जो कार्यवाही की हो उसे देखना और जहां आवश्यक हो उचित आज्ञाये देना।

(७) संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति के लिए आवश्यक पीट उपविधियां बनाना।

(८) अन्य प्रश्नों पर जो समिति अथवा सदस्य प्रस्तुत करे, विचार करना।

२२. व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से कोई सदस्य कार्य सूची में न दिया हुआ प्रश्न अध्यक्ष की सहमति से प्रस्तुत कर सकता है परन्तु ऐसे प्रश्न उपविधियां में संशोधन किये जाने के अथवा पारिश्रमिक दरों में धट–बढ़ करने के बारे में नही होगा।

२३. समिति का अध्यक्ष उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों को अनुपस्थिति में संस्था का अन्य सदस्य जिसका उपस्थित सदस्य निर्वाचन करें, व्यापक सम्मेलन का सभापति होगा।

२४. व्यापक सम्मेलन में प्रत्येक उपस्थित सदस्य को उसके संस्था में कितने भी अंश क्यों न हो, केवल एक मत देने का अधिकार होगा परन्तु वह सदस्य जिसकी और अंशों की मांग की रकम बाकी हो मत नही दे सकेगा। मतगणना हाथ उठाकर अथवा उस रीत से जो सभापति निश्चित करें की जाएगी।

उन मामलों के अतिरिक्त जिसके निर्णय के लिए सहकारी संस्था विधान उसके अन्तर्गत नियम या संस्था का विधियों में विशेष बहुमत रखा गया है अन्य मामलों का निर्णय साधारण बहुमत से होगा। दोनो पक्षों में समान मत होनो की स्थिति में अध्यक्ष को एक और निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

२५. प्रबंधकारिणी समिति

प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल निर्वाचन कमेटी के प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष का होगा। समिति का कोई सदस्य दो से अधिक कार्यकाल अथवा ७ वर्ष की लगातार कालावधि के लिए इनमें से जो भी कम हो निर्दिष्ट पद धारण नही करेगा

प्रबंधकारिणी समिति के नौ (९) निर्वाचित सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जावेगा। संस्था का प्रबंध करने के लिए प्रबंधकारिणी समिति ५ वर्ष के लिए निर्वाचित की जावेगी/जिसमें अध्यक्ष सहित ११ (ग्यारह) सदस्य होंगे इसमें दो पद महिला हेतु तथा एक एक पद अनुसूचित जनजाति हेतु–आरक्षित रहेगा।

संस्था के प्रबंधकारिणी समिति में शासन के तरफ से दो प्रतिनिधि नामाकिंत किये जायेंगे सहकारिता विभाग के एक प्रतिनिधि एवं एक जिलाधीश का प्रतिनिधि नामांकित रहेगा। प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन संस्था के निर्वाचन हेतु नियुक्त किये गयें निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियमानुसार करवाया जावेगा परन्तु यह और भी अपेक्षित संस्था में ऐसे सदस्यों का निर्वाचन करने में सोसायटी के असफल रहने या ऐसी संस्था से कम संख्या में सदस्यों की निर्वाचित

करने की दशा में समिति के शेष सदस्यों
में से जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार है अपेक्षित संख्या में सदस्यों को निर्वाचन अधिकारी के समक्ष सहयोजित होंगे और उन
सम्मेलन की अध्यक्षता निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जावेगी। समिति के सदस्यों की आयु १८ वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
इन उपविधियों में तथा संस्था के व्यापक सम्मेलन में स्वीकृत किये हुए ठहरावो में दी हुई आज्ञाओं के अनुसार वह समिति संस्था
के संचालन के संबंध में सब अधिकारी काम लायेगी। संस्था का कारोबार करने के लिए हर महीने में समिति की कम से कम एक
बैठक होगी। चार सदस्यों की संख्या १/२ का इनसे जो अधिक कोरम होगा।

कमेटी में किसी भी कारण से हुई आकस्मिक रिक्तता की पूर्ति कमेटी के शेष बचे सदस्यों द्वारा समिति के इसी वर्ग के
अन्य सदस्यों में से सहयोजन द्वारा की जावेगी जो सहायक पंजीयक सहकारी समितियों के द्वारा नियुक्त निर्वाचित अधिकारी
की उपस्थिति में होगी। इस प्रकार सहयोजित किये जाने वाले कमेटी के कार्यकाल के शेष अवधि के लिए होगा।

२६. अगर कोई सदस्य लोकसभा या विधानसभा का सदस्य चुन लिया जाता होतो वह प्रबंधकारिणी समिति का सदस्य नही रहेगा
बीच में यदि कोई स्थान समिति मे रिक्त हो जाय तो शेष अवधि के लिए समिति उसकी पूर्ति सहयोजन द्वारा निर्वाचन अधिकारी
के समक्ष की जावेगी।

२७. समिति का कोई भी सदस्य समिति की तीन या उससे अधिक बैठकों में बिना किसी उचित कारण के अनुपस्थित रहेगा तो उसे
समिति की सदस्यता से पृथक किया जा सकेगा और वह एक वर्ष तक समिति का सदस्य नहीं रह सकेगा।

२८. संस्था के किसी सदस्य की ओर बिना अवधि दिया हुआ ऋण शेष रहेगा तो वह समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकेगा और
न उसका सदस्य रह सकेगा।

२९. निर्वाचन के बाद समिति अपने में से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। अध्यक्ष उनकी अनुपस्थिति में
उपाध्यक्ष और दोनो की अनुपस्थिति में वह सदस्य जिसको उपस्थित सदस्य चुने प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में सभापति
का काम करेंगे। सब मामलों का निर्णय बहुमत से होगा। दोनो पक्षों में समान मत होनें की दशा में अध्यक्ष को एक और निर्णायक
मत देने के अधिकार होगा।

३०. समिति का कोई सदस्य किसी ऐसे मामलों पर विचार किये जाने के समय जिससे कि उसका निजि संबंध हो, समिति की बैठक
में सम्मिलित नही रह सकेगा।

३१. सब काम जो समिति ने अथवा किसी ने समिति के सदस्य होने के नाते किये होंगे यद्यपि बाद में यह मालूम हो कि समिति का
या उसके किसी सदस्य का निर्वाचन सहकारी संस्था विधान या उसके अन्तर्गत नियम या इन उपविधियों के विरूद्ध या उसी
प्रकार उचित समझे जावेंगे जिस प्रकार की समिति या उसके किसी ऐसे सदस्य का निर्वाचन उक्त विधान, नियम अथवा
उपनियमों के अनुसार होने पर उचित होगा।

३२. प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य तथा अधिकार नीचे लिखे अनुसार होंगे –

(1) सदस्य बनाना, उसके त्याग पत्र स्वीकार करना और उनके निकालने की कार्यवाही करना।

(2) अंशो को लेने, बेचने तथा वापिस करने के प्रार्थना पत्रों का निर्णय करना, अंशो की किस्ते जमा करने की तारीख
निश्चित करना और अंशो की रकम वसूल करना।

(३) आवश्यकतानुसार सदस्यों के अतिरिक्त अन्य कामगार, कारीगर तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना उसको
पदच्युत करना अथवा अधिकारच्युत करना, उन पर दण्ड करना और उनकी प्रत्येक प्रकार की छुट्टी मंजूर करना।

(४) टेंडर देकर अथवा अन्य प्रकार से काम के ठेके लेना अथवा अन्य छोटे–छोटे काम हाथ में लेना .

(५) आवश्यक औजार इत्यादि मोल या किराये पर लेना।

(६) सदस्यों में तथा अन्य कर्मचारियों में काम बांटना, आवश्यकतानुसार उनकी टुकड़िया (गेंग्स) बनाना, इन टुकड़ियों के प्रमुख (फोरमेन की नियुक्ति करना और सब लोग ठीक अनुशासन में काम करें ऐसी व्यवस्था करना।

(७) सदस्यों को तथा काम पर लगे हुए अन्य लोगो की पारिश्रमिक देने की दर निश्चित करना, जो उस दर से कम नहीं होगा। जिस दर से कि उस क्षेत्र में उसी प्रकार के काम के लिए पारिश्रमिक दिया जाता है।

(८) व्यापक सम्मेलन में स्वीकृत किये हुए प्रतिबंधो के अनुसार संस्था के लिए ऋण तथा अमानतें लेना और उसकी समय पर वापसी की व्यवस्था करना।

(९) अपने में से किसी एक अथवा अधिक सदस्य को संस्था की ओर से किसी लिखतम पर हस्ताक्षर करने, रकम लेने, वापिस करने तथा बांटने का अधिकार देना और संस्था की संपत्ति तथा दस्तावेज रखने की व्यवस्था करना।

(१०) प्रबंधक के काम की देखभाल करना, समय पर कार्यालय की सिलक की जांच करना और यह तय करना कि कार्यालय में अधिक से अधिक सिलक कितनी रखी जावें।

(११) जो वैधानिक कार्यवाही अथवा वाद संस्था की ओर से अथवा उसके किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरूद्ध हो उसमें पैरवी करना, उत्तर देना समझौता करना अथवा वाद वापिस लेना और समिति की ओर से पैरवी करने के लिए किसी की नियुक्ति करना।

(१२) सहकारी संस्थाओं के पंजीयक, आडिटर तथा अन्य सक्षम अधिकारी के आडिट इन्शपेक्शन नोटों का पालन करना तथा अपने उत्तरों सहित उनकों व्यापक सम्मेलन मे प्रस्तुत करना।

(१३) छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान की धारा ४४ के अनुसार पूंजी ब्याज पर लगाने की व्यवस्था करना।

(१४) साधारणतया वे सब काम करना जो संस्था संचालन के लिए आवश्यक हो और जिनके करने संबंधी अधिकार व्यापक सम्मेलन में अपने पास न रखा हो।

समिति को अधिकार होगा की वह अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों में से कुछ अधिकार और कर्तव्य पूर्णतया अथवा अंशतया किसी उपसमिति अध्यक्ष अथवा प्रबंधक को दें।

३३. अपील :–

समिति के ठहराओं के विरूद्ध अपील व्यापक सम्मेलन में हो सकेगी। व्यापक सम्मेलन को अधिकार होगा कि वह अपील लेने से इन्कार कर दें यदि वह समिति के ठहराव की सूचना होने की तारीख से दो मास के भीतर प्रस्तुत न हो।

३४. अध्यक्ष :–

व्यापक सम्मेलन तथा समिति के ठहराओं की ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने का काम अध्यक्ष तथा प्रबंधक का होगा अध्यक्ष, प्रबंधक तथा अन्य कर्मचारियों के काम पर नियंत्रण रखेगें और वे अधिकार काम में लावेंगे जो समिति ने उनको सौप दिये हों।

३५. प्रबंधक :–

प्रबंध समिति व अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करेगा, उनके कर्तव्य तथा अधिकार निम्नलिखित होंगे –

(१) समिति के अध्यक्ष नियंत्रण और अधीक्षण के अध्याधीन रहते हुए सोसाइटी के प्रकाशन में सामान्य नियंत्रण रखना।

(२) अध्यक्ष/सभापति के परामर्श से समिति और साधारण निकाय के सम्मेलन बुलाना।

(३) सोसाइटी की ओर से रखी सभी धनराशियों और प्रतिभूतियों को प्राप्त करना तथा सोसाइटी के नगद अतिशेषों और अन्य संपत्तियों के समुचित रखरखाव तथा अभिरक्षा का इन्तजाम करना।

(४) वचन पत्र, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों का पृष्ठांकन और हस्तांतरण करना तथा सोसायटी की ओर से चेकों और अन्य लिखतों का पृष्ठांकन, हस्ताक्षर करना।

(५) सोसायटी के पक्ष में समस्त बन्धन पत्रों तथा करारों पर हस्ताक्षर करना।

(६) सोसाइटी के सामान्य आचरण, पर्यवेक्षक और दिन प्रतिदिन के कारोबार के प्रबन्ध तथा कामकाज हेतु उत्तरदायी होगा।

(७) निक्षेप की गयी समस्त रसीदों पर हस्ताक्षर करना तथा सोसाइटी के बैंक में खाते का संचालन करना।

(८) सोसाइटी द्वारा सोसाइटी के विरूद्ध या सोसइटी के कारों से अन्यथा संबंधित किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियों को वस्थित करना, संचालित करना, प्रतिरक्षण करना, प्रश्मन करना या परित्याग करना और समिति के निविश्चियों के अनुसार सोसाइटी द्वारा या सोसयटी के विरूद्ध किन्ही दावो या मांग का प्रश्मन भी करना या भुगतान या वृद्धि के लिए समय भी अनुज्ञात करना।

(९) सोसायटी के कार्य-कलापों के संबंध मे ऐसी जानकारी रिर्पोट तथा विवरणियां जैसे की रजिस्ट्रार या राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित की जाय प्रस्तुत करना।

(१०) उपविधियों के उपबंधों के अध्ययीन रखते हुए सोसइटी के कर्मचारियों की शक्तियों, कर्तव्यों तथा दायित्वों को अवधारित करना।

(११) यथा स्थिति समितियां किसी अन्य प्रकार अक्षम प्राधिकृत के विनिश्चयों की संसूचना देना तथा ऐसे विनिश्चयों के अनुपालन में यथोचित निर्देशो या आदेशो को जारी करना।

(१२) ऐसे शक्तियां तथा कर्तव्य का प्रयोग करना जैसा की सोसाइटी के उपविधियों के द्वारा या अधीन विर्निदिष्ट किया गया है।

(१३) उसमें निहिय शक्तियों तथा कृत्यों में से समस्त या किसी भी शक्ति या कृत्य को , रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अध्यायीन रहते हुए सोसाइटी के किसी कर्मचारियों या कर्मचारी का पत्यारोजित करना।

३६. भावी रक्षा निधि, अमानतें तथा ऋण :-

प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक होगा कि जो पारिश्रमिक संस्था से उसे मिले उसमें से दस पैसे प्रति रूपया और बोनस की २५ प्रतिशत रकम भावी रक्षा निधि में जमा करें। संस्था के लाभ में से जो रकम उपविधि ४७ (४) के अनुसार भावी रक्षा निधि को देना निश्चित हो वह प्रत्येक सदस्य के भावी रक्षा निधि की खाते में उस रकम के मान से बढ़ाई जावेगी जिसकी रकम इस निधि में उस वर्ष उस सदस्य ने जमा की हो। इस कुल रकम पर उस दर से ब्याज दिया जावेगा जो व्यापक सम्मेलन निश्चित करें और जो ४-५० प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक न हो।

३७. भावी रक्षा निधि की एकत्रित रकम सदस्य की आयु 55 वर्ष की होने पर अथवा उनसे काम से सेवानिवृत होने पर जो बाद में हो दी जावेगी। यदि किसी अपद्यात से अथवा असाध्य रोग के कारण जिसको कि योग्य डाक्टर ने प्रमाणित किया हो कोई हो कोई सदस्य काम करने में योग्य न रहेतो 55 वर्ष की आयु होने के पहले भी यह रकम उसे दी जा सकेगी। यदि सदस्य की मृत्यु 55 वर्ष की आयु होने से पहले हो जावे तो उसके खाते की पूरा रकम उसके उत्तराधिकारी को दी जावेगी।

३८. यदि कोई सदस्य उपविधि ११ के अनुसार संस्था से निकाल दिया जावें अथवा सदस्य होने से ३ वर्ष के भीतर समिति की स्वीकृति से संस्था से अलग हो जाय तो उसे केवल रकम वापिस की जावेगी जो उसने जमा की थी और उसका ब्याज तथा लाभ में से उसके खाते में मिलाई हुई रकम का उतना भाग दिया जावेगा जो समिति योग्य समझे और शेष भाग संस्था के हित में जप्त किया जावेगा।

३९.	सदस्यों को उसके रकम के तारण पर जो उनकी इस निधि में जमा हो आवश्यक कामों के लिए स्वयं को अथवा उनका प्रतिभू

पर अन्य सदस्यों को ऋण दिया जा सकेगा। ऋण अधिक से अधिक २४ मासिक किश्तों में वापिस के प्रतिबन्ध पर दिया जाएगा

ब्याज की दर ६% वार्षिक से अधिक नहीं होगी। और ऋण की मासिक किस्त उस पारिश्रमिक में से काटी जा सकेगी जो संस्था

से उसको दिया जावें।

४०.	इस निधि की रकम जो ऋण में न हो जिला सहकारी बैंक में अमानत के रूप में रखी जावेगी।

४१.	संस्था सदस्यों से तथा लोगो से अमानतें ले सकती है परन्तु अमानतो की मुद्दत ६ मास से कम नही होना चाहिए। अमानत पर

ब्याज ....दर से दिया जावेगा जो समिति के ऋणदाता सहकारी बैंक की स्वीकृति से समय-

समय पर निश्चित करें।

## ४२.	बेकारी निवारण निधि :-

उपविधि ४७ (४) के अनुसार निर्माण किये हुये बेकारी निवारण निधि की रकम जिला सहकारी बैंक में रखी जावेगी

जब कोई सदस्य बेकार हो तो उसके निर्वाह के लिए उसकी उस प्रकार सहायता देने में खर्च की जावेगी जो अमानत समिति के

योग्य समझें।

## ४३.	अन्य सहकारी संस्थाओं के सदस्य :-

(१)	वह संस्था जिला सहकारी बैंक से सम्बधित रहेगी जो वार्षिक सहायता देने वाली संस्था होगी।

(2)	यदि इस प्रकार की सहकारी संस्थाओं का कोई संघ स्थापित हो तो उसकी भी यह संस्था सदस्य होगी।

(3)	जिला सहकारी संघ की भी यह संस्था सदस्य होगा।

४४.	यदि कोई बड़ा ठेका लेना हो तो अथवा बड़ा काम करना हो तो दो अथवा दो से अधिक इसी प्रकार की संस्थाये उसकी समितियां

निश्चित करें, सामूहिक रूप से उक्त ठेका ले सकेगी अथवा काम कर सकेगी।

## ४५.	हिसाब के तथा अन्य रजिस्टर :-

हिसाब की पुस्तके तथा अन्य रजिस्टर संस्था के पंजीयक की आज्ञा के अनुसार रखे जावेगे । इसके अतिरिक्त

समिति जो रजिस्टर तथा पत्रक रखना आवश्यक समझे वे भी रखे जावेंगे।

## ४६.	संस्था की मुद्रा :-

संस्था की एक संयुक्त मुद्रा होगी जो अध्यक्ष/प्रबंधक के पास रहेगी। उस लिखतम पर जिस पर यह मुद्रा लगाई

जावेगी समिति के अध्यक्ष तथा प्रबंधक या समिति के एक सदस्य के हस्ताक्षर होंगे जिनको समिति ने इस संबंध में अधिकार

दिया हो।

## ४७.	लाभ का विवरण :-

वार्षिक व्यापक सम्मेलन की स्वीकृति से शुद्ध लाभ का वितरण नीचे लिखे अनुसार किया जावेगा -

(१)	कम से कम 25 प्रतिशत रकम रक्षित निधि में जमा की जावेगी।

(2)	छतीसगढ़ सहकारी संस्था नियमों में नियत किये हुए...अनुसार

छत्तीसगढ़ राज्य संघ या जिला संघ की शिक्षा निधि में अंशदान दिया जाएगा।

(३)	सदस्यों के उनके अंशों की वसूली आई हुई रकम पर लाभांश (डिविडेन्ड) दिया जाएगा जिसकी दर १०% वार्षिक से

अधिक नही होगी।

(४)	शेष में से ५०% रकम सदस्यों को बोनस के रूप में दी जावेगी। बोनस उस पारिश्रमिक की रकम के परिणाम से दिया

जावेगा जो उस वर्ष में संस्था के सदस्य को दिया गया हो। अधिक से अधिक २५%

रकम सदस्यों की भावी रक्षा निधि में मिलाई
जावेगी १२५% रकम बेकारी निवारण निधि में जमा की जाएगी और शेष रकम छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान की धारा ४३
(४) के अनुसार परोपकार संबंधी मदों में खर्च का जाएगी। और अन्य निधियों में जमा की जाएगी।

४८. रक्षित निधि :-

उपविधि ४७ के अनुसार लाभ के अंश की रकम पर मारे रक्षित निधि में जमा होगी और कोई भी सदस्य को उसमें से
कोई अंश पाने का अधिकार नहीं होगा। इनका उपयोग व्यापक सम्मेलन के ठहराव से और सहकारी संस्थाओं के पंजीयक की
स्वीकृति के उपरान्त हानि जो संस्था को हुई है दूर के काम में किया जा सकता है।

रधित निधि की रकम केवल ऐसी रीति में व ऐसी शर्तो व प्रतिबंधों पर जो कि इस संबंध में पंजीयक द्वारा निर्धारित किये जायेंगे नियुक्ति की अथवा उपयोग में लाई जावेगी।

संस्था के समापन के बाद रक्षित तथा अन्य निधियों की जो रकम शेष रहेगी उसका विनियोग छत्तीसगढ़ सहकारी
संस्था विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार किया जाएगा।

४९. विवाद -

विवाद जो संस्था की रचना प्रबंध या कारोबार के संबंध में छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान की धारा ६४ के अन्तर्गत हो,
निर्णय के लिए सहकारी संस्थाओं के सहायक पंजीयक को प्रस्तुत होंगे जो उक्त विधान तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार निर्णय करेंगे।

५०. संशोधन -

सिवाय व्यापक सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों के ३/४ के बहुमत के इन उपविधियों में से किसी भी उपविधि का संशोधन नहीं
हो सकेगा। सम्मेलन बुलाने के सूचना पत्र में कम से कम चौदह (१४) दिन पहिले दिया जावेगा ऐसा संशोधन उस समय तक व्यवहार में
नही आ सकेगा जब तक कि सहकारी संस्थाओं के पंजीयक उसकी स्वीकृति करके उसकी रजिस्ट्री न कर दें।

५१. सूचना पत्र की तामील -

इस उपविधियों में यहां बताया गया है कि किसी भी सदस्य को लेखी सूचना पत्र दिया जावेगा जो ऐसे सूचना पत्र का ऐसे सदस्य
का स्वयं दिया जाना अथवा डाक में डालने का प्रमाण पत्र लेकर उसके उस पते पर जो संस्था के सदस्यों के रजिस्टर में नोट किया हो डाक से भेज देना पर्याप्त तामिल होना समझा जावेगा।

५२. विविध

सदस्यों को तथा अन्य काम करने वालो को जो औजार इत्यादि संस्था की ओर से दिये जावेंगे उनका सावधानी से तथा चिन्ता
पूर्वक उपयोग करने की उनकी जिम्मेदारी होगी और यदि साधारण सीजन के अतिरिक्त इन औजारों में कोई हानि हुई तो उसकी पूर्ति करना होगा और इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। यदि समिति से दी हुई अवधि के भीतर हानि की रकम जमा न हो तो उस
पर दो पैसे प्रति रूपया प्रतिमास के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा और संस्था को अधिकार होगा कि पारिश्रमिक में से अथवा सदस्य के अंश में से यह रकम काट देंवे।

५३. अन्य बाते जिनका पृथक उल्लेख इन उपविधियों में न किया गया हो, छत्तीसगढ़ सहकारी संस्था विधान १९६० तथा उसके अन्तर्गत नियमों के अनुसार की जाएगी।